राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
अंकेक्षण अनुभाग

विषय : राजस्थान विधानसभा की जन लेखा समिति द्वारा अपने प्रतिवेदनों में की जाने वाली सिफारिशों के कियान्वयन से संबंधित सूचनाएं विभागों द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं भेजे जाने के संबंध में।

सचिव, राजस्थान विधान सभा ने पत्र कमांक एफ 9(73) जलेस /सिविल /विस/2015–21/20349 दिनांक 08.09.2021 के द्वारा अवगत कराया है कि जन लेखा समिति की बैठक दिनांक 18.08.2021 में समिति ने अपने प्रतिवेदनों में की जाने वाली सिफारिशों के कियान्वयन से संबंधित सूचनाएं विभागों द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं भेजे जाने पर नाराजगी प्रकट की है। समिति के प्रतिवेदनों के सदन में उपस्थापित होने की तिथि से छः माह की अवधि में कियान्विति जनलेखा समिति को भिजवाना आवश्यक होता है। विभागों द्वारा आग्रह करने पर समिति द्वारा कियान्वयन हेतु अतिरिक्त समयावधि अनुमत की जाती है।

समिति ने निर्देश दिये है कि समय बढ़ाने के उपरांत भी यदि संबंधित विभाग सिफारिशों के कियान्वयन से संबंधित सूचनाएं नहीं भेजते है अथवा विलम्ब से भेजते है तो संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध राजस्थान सेवा नियम, सीसीए नियम 16 व 17 के तहत अविलम्ब कार्यवाही की जावें।

अतः अनुरोध है कि जनलेखा समिति के प्रतिवेदनों की कियान्विति सूचना निर्धारित छः माह की अवधि में अथवा समिति द्वारा बढ़ाई गई अवधि में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें तथा सूचनाएं नहीं भेजे जाने अथवा विलम्ब से भेजे जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध राजस्थान सेवा नियम, सीसीए नियम 16 व 17 के तहत कार्यवाही की जावें।

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव,
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
राजस्थान, जयपुर

अ.शा.टीप कमांक : प.12(01)वित्त/अंकेक्षण/2017
दिनांक : 4-10-2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा (जनलेखा समिति) राजस्थान जयपुर।
2. महालेखाकार (लेखापरीक्षा–I)राजस्थान जयपुर।
3. समस्त संयुक्त शासन सचिव, वित्त विभाग।
4. समस्त विभागाध्यक्ष।
5. तकनीकी निदेशक (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) वित्त विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त शासन सचिव